


141



समक्ष न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व मण्डल मुख्य पीठ ग्वालियर

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/रिवीजन याचिका कं. /17
2017/1637

1. मोह० आफाक पुत्र स्व० श्री मो० इस्लाम
आयु 58 वर्ष,
2. मो० शिराज पुत्र मो० जावेद आयु 35 वर्ष
निवासीगण:- 2, नजाराविला,
वी.आई.पी. रोड, भोपाल (म.प्र.)

आवेदकगण

व्यापक कार्य
31-5-17 का
के प्रस
31-5-17

विरुद्ध

90

1. शर्मीला टैगोर उफ बेगम आइशा अली खान
पत्नि स्व० श्री नवाब मंसूर अली खान पटौदी
आयु लगभग 60 वर्ष निवासी बी-2 बसंत विहार
न्यू दिल्ली
2. आजम हसन खान, पुत्र स्व० श्री मो० हसन खान
आयु 50 वर्ष, निवासी:- रियाज मंजिल, खानूगांव
बागो बहार शादीहाल के पीछे, खानूगांव भोपाल (म.प्र.)

अभिभाषक श्री...
द्वारा आज दिनांक...
को देखा।

म०प्र० शासन द्वारा
जिलाध्यक्ष महोदय जिला एवं शहर भोपाल (म.प्र.)



राजस्व निरीक्षक श्री आलोक भद्र
नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त
तहसील हुजूर, भोपाल कार्यालय
सुल्तानिया रोड, भोपाल (म.प्र.)

अनावेदकगण

रिवीजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता

आवेदकगण, अनावेदक कमांक-4 द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ-12/16-17 बैरागढ़ वृत्त में पारित आदेश दिनांक 11.05.17 एवं 18.05.17 तथा प्रकरण में की गई सीमांकन की तथाकथित कार्यवाही से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका प्रस्तुत करते हैं। कार्यवाही अनावेदक कमांक-1 व 2 के आवेदन पर अनावेदक कमांक-4 द्वारा की गई है। जो ग्राम कोहेफिजा तहसील हुजूर जिला एवं शहर भोपाल के खसरा कमांक 75 की भूमि के सीमांकन के संबंध में है। आलोच्य सीमांकन द्वारा खसरा कमांक 75 की 0.123 हेक्टेयर भूमि पर त्रुटि पूर्ण रूप से आवेदकगण का कब्जा बताया गया है

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैं:-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

निरंतर *[Handwritten signature]*

R 1637/2017

27-06-18

आवेदक अधिवक्ता श्री अशरफ अली आम्बित।
उनके द्वारा प्रकरण जागे नहीं चलाये जाने के
कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन
किया गया। प्रकरण आवेदक के निवेदन पर
जागे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस
में समाप्त किया जाता है।

अशरफ अली आम्बित

27/06/18

NR 22/8

NR 22/8

NR 22/8

अशरफ अली आम्बित

[क. प. उ.]

अशरफ अली आम्बित